उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-168/2019/2557/92-2-19-161जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक 11 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जनपद-कानपुर में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा योजना से संबंधित निर्माण कार्यो के अनुबंध गठन में व्यापक अनियमितता करने, अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का अतिक्रमण करने, अपने पद एवं दायित्वों के अनुरूप दर विश्लेषण एवं रोड मेटल रेट (आर0 एम0 आर0) स्वीकृत न करने, आई0टी0बी0 के प्रस्तर-25 के अनुसार बिड सिक्योरिटी एवं परफारमेन्स सिक्योरिटी का सत्यापन न करने एवं ठेकेदारों से दुरभिसंधि कर शासकीय क्षति करने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-107/ 2018/2086/92-2-18-161जांच/2015, दि0 09-08-2018 द्वारा श्री राजेश कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं045/ ग्रा0अ0 वि0/रा0कु0स0अभि0/जांच/पत्रा0/18-19 दि0 04-01-2019 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 05 आरोप में से आरोप सं0-01 व 5 स्थापित नही बताया गया है तथा आरोप सं0-02, 03 व 04 आंशिक रूप से स्थापित बताया गया है। जांच अधिकारी की जांच आख्या में आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-02, 03 व 04 के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री राजेश कुमार से शासन के पत्र सं0-213/92-2-19-161जांच/2015 दि0 23-01-2019 द्वारा अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी के पत्र सं0-02/ग्रा0अ0वि0/ अनु0जां0/ कानपुर/ व्य0प0/18-19 दि0 02-04-2019 द्वारा अपना बचाव उत्तर शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-02, 03 व 04 के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप सं0-2

वर्ष 2008-09 में चयनित डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा आगापुर के राजस्व ग्राम आगापुर जनपद कानपुर नगर में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण कार्य एवं डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा सपई का मजरा बाम्बीपुरवा जनपद कानपुर नगर में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सं0-868/आर0ई0एस0/टेण्डर/2008-09 दि0 18.08.2008 आमंत्रित की गई। आमंत्रित निविदा में निर्धारित तिथियों के सापेक्ष तकनीकी बिड दि0 05.09.2008 को खोली गयी। तदोपरान्त वित्तीय बिड दिनांक 13.09.2008 को खोली गयी अनुबंध में लगे वित्तीय तुलनात्मक विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त तिथि को बिना समस्त सदस्यो के उपस्थित हुये ही (समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर के बिना) वित्तीय बिड खोल दी गयी एवं स्वीकृत पत्र निर्गत कर दिया गया। तदोपरान्त बिना संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिशासी अभियंता की संस्तुति के ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि करके अनुबंध गठन हेतु आप द्वारा संस्तुति की गयी, जिसके लिये श्री राजेश कुमार को आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी द्वारा आरोप के संबंध में अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य लागत के अनुसार यह कार्य अधीक्षण अभियंता के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित कार्य की निविदा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर द्वारा स्वयं खोली गयी उनके द्वारा नहीं खोली गयी थी। आरोप के साक्ष्य वित्तीय तुलनात्मक विवरण में अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा खोलने एवं दर बोलने की प्रमाणिकता स्वरूप हस्ताक्षर किया है।

अधिशासी अभियंता की संस्तुति के बिना ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि करके अनुबंध गठन हेतु संस्तुति करने के संबंध में अवगत करना है कि अधीक्षण अभियंता स्तर के प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु तत्समय परिमण्डलीय सहायक अभियंता के रूप में प्राक्कलनों की गणना एवं तकनीकी दृष्टिकोण से परीक्षण, सहायक अभियंता (तकनीकी) के रूप में उनके माध्यम से लिया जाता था। अधीक्षण अभियंता के अधिकार सीमा वाले निविदाओं में न्यूनतम निनिवदादाता द्वारा वित्तीय बिड में दी गयी निविदा दर का स्वीकृति प्राक्कलनों में शामिल कार्यो की विभिन्न मदों की गणना के आधार पर शुद्ध अंकगणितीय गणना कर, प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे, तदानुसार सहायक अभियंता (तकनीकी) के रूप में मात्र अंकगणितीय गणना तथा योग की संस्तुति उनके द्वारा की गयी थी।

स्वीकृति पत्र निर्गत करने के संबंध में अवगत कराया गया है कि डॉ0 अम्बेडकर ग्राम आगापुर के राजस्व ग्राम आगापुर का वित्तीय बिड को अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा खोलने हेतु गठित समिति की सदस्यों की अनुपस्थिति में स्वयं उनके द्वारा दि0 13.09.2008 को खोलते हुये, दर बोली गई थी, तथा उनके द्वारा मात्र बोली गयी दर लिखा गया था। अधीक्षण अभियंता महोदय के नियंत्रण में कार्यरत होने के कारण अधीक्षण अभियंता के निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में दी गयी निविदा दर का स्वीकृति प्राक्कलनों में शामिल कार्यो की विभिन्न मदों की गणना के आधार पर शुद्ध अंकगणितीय गणना तथा योग की संस्तुति उनके द्वारा की गयी थी। निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधीक्षण अभियंता महोदय में ही निहित थी। उक्त कार्य की स्वीकृति पत्र (**Letter of Acceptance**) अधीक्षण अभियंता के स्तर से ही जारी किया गया है। उनके स्तर से कोई भी स्वीकृत पत्र जारी नही की गई।

अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा सौपे गये दायित्व एवं परिमण्डल के सहायक अभियंता होने के कारण मैंने अपने उत्तरदायित्व का समुचित निर्वाहन करते हुये नोटशीट प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत नोटशीट में तकनीकी एवं वित्तीय बिड का मूल्यांकन तथा बिड सिक्योरिटी का सत्यापन की कार्यवाही में सम्मिलित न होने तथा इसका दायित्व उनके पद के अनुरूप न होने के कारण इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी स्वीकृत पत्र (Letter of Acceptance) के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा नियम विरूद्ध रूप से दी गयी पोस्ट आफिस के पासबुक तथा उसके सत्यापन की कार्यवाही में सम्मिलित न होने तथा इसकी भी कोई जानकारी न होने के कारण उसका भी उल्लेख नोटशीट में नहीं किया गया था।

आरोप में इंगित उक्त स्थिति पूर्णतः काल्पनिक, मिथ्या एवं आधारहीन तथा मनगढन्त है। उत्तर में इंगित शासनादेशों/नियमों के आधार पर उन्हें उक्त आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जांच अधिकारी की विवेचना

आरोप संख्या-2 जिसमें निविदा आमंत्रण सं0-868 दि0 18-08-2008 के संबंध में तकनीकी बिड दि0 05-09-2008 को खोली गयी, तदोपरान्त वित्तीय बिड 13.09.2008 को खोली गयी। तुलनात्मक विवरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि समस्त सदस्यो के उपस्थित हुये बिना वित्तीय बिड खोल दी गयी, जिसके आधार पर श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता द्वारा अनुबंध गठन करने हेतु संस्तुति की गयी, जिसके उत्तर में श्री राजेश कुमार द्वारा कहा गया कि अनुबंध गठन करने का कार्य अधीक्षण अभियंता के अधिकार सीमा के अंतर्गत है। वित्तीय तुलनात्मक विवरण अधीक्षण अभियंता द्वारा खोल कर बोला गया एवं मेरे द्वारा मात्र लिख कर हस्ताक्षर किया गया। उनके द्वारा सहायक अभियंता तकनीकी के रूप में अंक गणितीय गणना एवं योग्य की संस्तुति किया गया है। वित्तीय बिड का कार्य डॉ0 अम्बेडकर सभा मदारपुर में सी0सी0 रोड के निर्माण का कार्य, डा0 अम्बेडकर योजना ग्राम सपई में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण का कार्य तथा डॉ0 अम्बेडकर योजना ग्राम आगापुर में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण पर वित्तीय मूल्यांकन के रूप में खण्डीय लेखाधिकारी, सहायक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता के हस्ताक्षर है, जिसके आधार पर श्री राजेश कुमार द्वारा अनुबंध गठन हेतु संस्तुतियां की गयी है। समस्त अभिलेखों, वित्तीय निविदा मूल्यांकन समिति की संस्तुतियों, श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता के ऊपर लगाये गये आरोपों तथा आरोपी के उत्तर का विधिवत अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। निविदा समिति में समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है, फिर भी श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता द्वारा अनुबंध गठन के अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियंता को प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव का परीक्षण करना अनुबंधकर्ता अधिकारी का था, उनके द्वारा देखना चाहिये था कि समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर है या नहीं। श्री राजेश कुमार एक सहायक अभियंता थे, जो अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यरत थे। अधीक्षण अभियंता के समक्ष समस्त प्रपत्रों को रखने का दायित्व श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता का था। ऐसा प्रतीत होता है कि अधीक्षण अभियंता के मौखिक निर्देश के क्रम में उनके द्वारा निविदा समिति की संस्तुतियों को अधीक्षण अभियंता के समक्ष रखा गया, जो अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकार किया गया। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता द्वारा मात्र प्रस्ताव रखने से स्वीकार करने योग्य नहीं बनता। यह सम्पूर्ण दायित्व अधीक्षण अभियंता का है। अत: यह आरोप कि बिना अधिशासी अभियंता के संस्तुति किये ठेकेदार के साथ सुरभिसंधि करके सहायक अभियंता द्वारा अनुबंध गठन की संस्तुति की गई उचित नहीं है। श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता द्वारा संस्तुति करते हुये अधीक्षण अभियंता के संज्ञान में यह बात लानी चाहिए थी, कि इस पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर नही है। अत: यह आरोप श्री राजेश कुमार पर आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

आरोप संख्या-3

वर्ष 2008-09 में चयनित डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा मदारा, रायगुमान के राजस्व ग्राम मदारा रायगुमान, जनपद कानपुर नगर में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सं0-1026/आर0ई0एस0/टेण्डर/2008-09 दि0 11.09.2008 आमंत्रित की गई। आमंत्रित निविदा में निर्धारित तिथियों के सापेक्ष तकनीकी बिड दि0 27.09.2008 को खोली गयी। तदोपरान्त वित्तीय बिड दि0 18.10.2008 को खोली गयी, अनुबंध में लगे वित्तीय तुलनात्मक विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त तिथि को बिना समस्त सदस्यो के उपस्थित हुये ही (समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर के बिना) वित्तीय बिड खोल दी गयी एवं स्वीकृत पत्र निर्गत कर दिया गया। तदोपरान्त बिना संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिशासी अभियंता की संस्तुति के ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि करके अनुबंध गठन हेतु संस्तुति की गयी, जिसके लिये श्री राजेश कुमार को आरोपित किया गया है।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

अपचारी द्वारा आरोप के संबंध में अवगत कराया गया है कि कार्य लागत के अनुसार यह कार्य अधीक्षण अभियंता के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित कार्य की निविदा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर द्वारा स्वयं खोली गयी उनके द्वारा नहीं खोली गयी थी। आरोप के साक्ष्य वित्तीय तुलनात्मक विवरण में अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा खोलने एवं दर बोलने की प्रमाणिकता स्वरूप हस्ताक्षर किया है।

अधिशासी अभियंता की संस्तुति के बिना ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि करके अनुबंध गठन हेतु संस्तुति करने के संबंध में अवगत करना है कि अधीक्षण अभियंता स्तर के प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु तत्समय परिमण्डलीय सहायक अभियंता के रूप में प्राक्कलनों की गणना एवं तकनीकी दृष्टिकोण से परीक्षण, सहायक अभियंता (तकनीकी) के रूप में उनके माध्यम से लिया जाता था। अधीक्षण अभियंता के अधिकार सीमा वाले निविदाओं में न्यूनतम निनिवदादाता द्वारा वित्तीय बिड में दी गयी निविदा दर का स्वीकृति प्राक्कलनों में शामिल कार्यो की विभिन्न मदों की गणना के आधार पर शुद्ध अंकगणितीय गणना कर, प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे, तदानुसार सहायक अभियंता (तकनीकी) के रूप में मात्र अंकगणितीय गणना तथा योग की संस्तुति उनके द्वारा की गयी थी।

स्वीकृति पत्र निर्गत करने के संबंध में अवगत कराया गया है कि डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा मदारा रायगुमान के राजस्व ग्राम मदारा रायगुमान का वित्तीय बिड को अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा खोलने हेतु गठित समिति की सदस्यों की अनुपस्थिति में स्वयं उनके द्वारा दि0 18.10.2008 को खोलते हुये, दर बोली गई थी, तथा उनके द्वारा मात्र बोली गयी दर लिखा गया था। अधीक्षण अभियंता महोदय के नियंत्रण में कार्यरत होने के कारण अधीक्षण अभियंता महोदय के निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में दी गयी निविदा दर का स्वीकृति प्राक्कलनों में शामिल कार्यो की विभिन्न मदों की गणना के आधार पर शुद्ध अंक गणितीय गणना तथा योग की संस्तुति उनके द्वारा की गयी थी। निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधीक्षण अभियंता महोदय में ही निहित थी। उक्त कार्य की स्वीकृत पत्र (Letter of Acceptance) अधीक्षण अभियंता के स्तर से ही जारी किया गया है। उनके स्तर से कोई भी स्वीकृत पत्र जारी नही की गई।

अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा सौपे गये दायित्व एवं परिमण्डल के सहायक अभियंता होने के कारण उन्होने अपने उत्तरदायित्व का समुचित निर्वाहन करते हुये नोटशीट प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत नोटशीट में तकनीकी एवं वित्तीय बिड का मूल्यांकन तथा बिड सिक्योरिटी का सत्यापन की कार्यवाही में सम्मिलित न होने तथा इसका दायित्व उनके पद के अनुरूप न होने के कारण इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी स्वीकृत पत्र (Letter of Acceptance) के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा नियम विरूद्ध रूप से दी गयी पोस्ट आफिस के पासबुक तथा उसके सत्यापन की कार्यवाही में सम्मिलित न होने तथा इसकी भी कोई जानकारी न होने के कारण उसका भी उल्लेख नोटशीट में नहीं किया गया था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप में इंगित उक्त स्थिति पूर्णत: काल्पनिक, मिथ्या एवं आधारहीन तथा मनगढन्त है। उत्तर में इंगित शासनादेशों/नियमों के आधार पर उन्हें उक्त आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना

आरोप संख्या-3 में यह आरोप है कि वित्तीय तुलनात्मक के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि बिना समस्त सदस्यो के उपस्थित हुये (समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना) वित्तीय बिड खोली गयी, तथा वित्तीय बिड पर अधिशासी अभियंताओं के बिना संस्तुति के अनुबंध गठन हेतु अपचारी द्वारा संस्तुति दी गयी है। यह आरोप, आरोप संख्या-2 की ही भांति है। जांच अधिकारी के रूप में मूल्यांकन, आरोप संख्या-2 की तरह ही है। अत: यह आरोप श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता पर आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

आरोप संख्या-4

वर्ष 2008-09 में चयनित डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा सचेन्डी के राजस्व ग्राम सचेन्डी, जनपद कानपुर नगर में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सं0-1155/आर0ई0एस0/टेण्डर/2008-09 दि0 10.10.2008 आमंत्रित की गई। आमंत्रित निविदा में निर्धारित तिथियों के सापेक्ष तकनीकी बिड दि0 04.11.2008 को खोली गयी। शीघ्र ही एक दिन पश्चात ही वित्तीय बिड दि0 06.11.2008 खोल दी गयी, अनुबंध में लगे वित्तीय तुलनात्मक विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त तिथि को बिना समस्त सदस्यो के उपस्थित हुये ही (समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर के बिना) मात्र अपने एवं खण्डीय लेखाधिकारीकी उपस्थिति में बिना अधीक्षण अभियंता/अध्यक्ष की उपस्थिति में वित्तीय बिड खोल दी गयी एवं उसी दिन स्वीकृत पत्र भी निर्गत कर दिया गया। तदोपरान्त बिना संबंधित अधिशासी अभियंता की संस्तुति के ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि करके अनुबंध गठन हेतु आप द्वारा संस्तुति की गयी, जो कि लापरवाही द्योतक है जिसके लिये श्री राजेश कुमार को आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी द्वारा आरोप के संबंध में अवगत कराया गया है कि कार्य लागत के अनुसार यह कार्य अधीक्षण अभियंता के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित कार्य की निविदा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर द्वारा स्वयं खोली गयी उनके द्वारा नहीं खोली गयी थी। आरोप के साक्ष्य वित्तीय तुलनात्मक विवरण में अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा खोलने एवं दर बोलने की प्रमाणिकता स्वरूप हस्ताक्षर किया है।

अधिशासी अभियंता की संस्तुति के बिना ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि करके अनुबंध गठन हेतु संस्तुति करने के संबंध में अवगत कराना है कि अधीक्षण अभियंता स्तर के प्राक्कलनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु तत्समय परिमण्डलीय सहायक अभियंता के रूप में प्राक्कलनों की गणना एवं तकनीकी दृष्टिकोण से परीक्षण, सहायक अभियंता (तकनीकी) के रूप में उनके माध्यम से लिया जाता था। अधीक्षण अभियंता के अधिकार सीमा वाले निविदाओं में न्यूनतम निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में दी गयी निविदा दर का स्वीकृति प्राक्कलनों में शामिल कार्यो की विभिन्न मदों की गणना के आधार पर शुद्ध अंकगणितीय गणना कर, प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये थे, तदानुसार सहायक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियंता (तकनीकी) के रूप में मात्र अंकगणितीय गणना तथा योग की संस्तुति उनके द्वारा की गयी थी।

स्वीकृति पत्र निर्गत करने के संबंध में अवगत कराया गया है कि डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा सचेन्डी के राजस्व ग्राम सचेन्डी का वित्तीय बिड को अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा खोलने हेतु गठित समिति की सदस्यों की अनुपस्थिति में स्वयं दि0 06.11.2008 को खोलते हुये, दर बोली गई थी, तथा उनके द्वारा मात्र बोली गयी दर लिखा गया था। अधीक्षण अभियंता महोदय वित्तीय बिड खोलने तथ दर बोलने से हस्ताक्षर कराना भूल गए होगे, जिसके कारण से उनका हस्ताक्षर नही है। वित्तीय बिड खोलने की तिथि दि0 06.11.2008 को ही स्वीकृति पत्र अधीक्षण अभियंता महोदय के हस्ताक्षर से जारी किया गया, जो प्रमाणित करता है कि वित्तीय बिड खोलने की कार्यवाही अधीक्षण अभियंता द्वारा ही किया गया था। अधीक्षण अभिंयता महोदय के नियंत्रण में कार्यरत होने के कारण अधीक्षण अभियंता के निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में दी गयी निविदा दी का स्वीकृति प्राक्कलनों में शामिल कार्यो की विभिन्न मदों की गणना के आधार पर शुद्ध अंक गणितीय गणना तथा योग की संस्तुति उनके द्वारा की गयी थी। निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधीक्षण अभियंता महोदय में ही निहित थी। उक्त कार्य की स्वीकृत पत्र (Letter of Acceptance) अधीक्षण अभियंता के स्तर से ही जारी किया गया है। उनके स्तर से कोई भी स्वीकृत पत्र जारी नही की गई।

अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा सौपे गये दायित्व एवं परिमण्डल के सहायक अभियंता होने के कारण मैंने अपने उत्तरदायित्व का समुचित निर्वाहन करते हुये नोटशीट प्रस्तुत की गयी थी। प्रस्तुत नोटशीट में तकनीकी एवं वित्तीय बिड का मूल्यांकन तथा बिड सिक्योरिटी का सत्यापन की कार्यवाही में सम्मिलित न होने तथा इसका दायित्व अपने पद के अनुरूप न होने के कारण इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी स्वीकृत पत्र (Letter of Acceptance) के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा नियम विरूद्ध रूप से दी गयी पोस्ट आफिस के पासबुक तथा उसके सत्यापन की कार्यवाही में सम्मिलित न होने तथा इसकी भी कोई जानकारी न होने के कारण उसका भी उल्लेख नोटशीट में नहीं किया गया था।

आरोप में इंगित उक्त स्थिति पूर्णत: काल्पनिक, मिथ्या एवं आधारहीन तथा मनगढन्त है। उत्तर में इंगित शासनादेशों/नियमों के आधार पर उन्हें उक्त आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

आरोप संख्या-4 में भी आरोप सं0-2 की ही भांति है, जिसमें मात्र यह है कि अधिशासी अभियंताओं की अनुपस्थिति पर वित्तीय बिड की तुलनात्मक विवरण बिना अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर के ही अनुबंध गठन हेतु श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता द्वारा संस्तुति किया गया है। आरोपी के उत्तर और आरोप के बचाव उत्तर का अवलोकन किया गया। जांच अधिकारी के रूप में मूल्यांकन, आरोप संख्या-2 की तरह ही है। अत: यह आरोप श्री राजेश कुमार, सहायक अभियंता पर आंशिक रूप से सिद्ध होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का आरोप सं0-2, 3 व 4 के संबंध में संयुक्त अभ्यावेदन</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी, श्री राजेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि जांच अधिकारी महोदय द्वारा आरोप संख्या-02, 03 एवं 04 में पृथकपृथक कार्यो के लिये एक समान आरोप होने के कारण अपनी जांच आख्या में आरोप सं0-2 की समीक्षा/जांच में समग्र रूप से आरोप संख्या-02, 03 एवं 4 के कार्यो का उल्लेख करते हुये, निष्कर्ष दिया गया है।

आरोपित आरोप संख्या-2 डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा आगापुर के राजस्व ग्राम आगापुर एवं ग्राम सभा-सपई का मजरा बाम्बीपुरवा आरोप संख्या-3 में डॉ0 अम्बेडकर ग्रामसभा-मदारा रायगुमान के राजस्व ग्राम मदारा रायगुमान, तथा आरोप संख्या-4 में डॉ0 अम्बेडकर ग्रामसभा सचेन्डी के राजस्व ग्राम सचेन्डी जनपद कानपुर नगर में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के सापेक्ष अनुबंध में लगे वित्तीय तुलनात्मक विवरण के आधार पर बिना समस्त सदस्यों के उपस्थित हुये ही (समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना) वित्तीय बिड खोल दी गयी एवं स्वीकृति पत्र निर्गत कर दिया गया तदोपरान्त बिना संबंधित अधिशासी अभियंता संस्तुति के ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि करके अनुबंध गठन हेतु संस्तुति करने के लिये आरोपित किया गया। उक्त के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है :-

1-आरोप संख्या-02, 03 एवं 04 में "आमंत्रित निविदा के सापेक्ष अनुबंध में लगे वित्तीय तुलनात्मक विवरण के आधार पर बिना समस्त सदस्यों के उपस्थित हुये ही (समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर के बिना) वित्तीय बिड खोल दी गयी एवं स्वीकृति पत्र निर्गत कर दिया गया तदोपरान्त बिना संबंधित अधिशासी अभियंता की संस्तुति के ठेकेदार के साथ दुरभिसंधि करके अनुबंध गठन हेतु संस्तुति करने के लिये आरोपित किया जाता है।" अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार जॉच अधिकारी को आरोपित आरोप पर समीक्षा/विवेचना/जॉच करने का प्राविधान है। आरोपित आरोपों से इतर बिन्दु जिस पर अपचारी कार्मिक का कोई बचाव नही लिया गया, उन बिन्दुओं को एक पक्षीय संज्ञान लेते हुये, समीक्षा/विवेचना/जांच करने का कोई प्राविधान नही है। जबकि जॉच अधिकारी महोदय द्वारा आरोप संख्या-02, 03 व 04 की विवेचना में अधीक्षण अभियंता के संज्ञान में न लाने के लिये आरोपित न किये जाने के उपरान्त भी इसी आधार पर उन्हें अधीक्षण अभियंता के संज्ञान में यह बात लानी चाहिए थी कि इस पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर नही है, के आधार पर यह आरोप आंशिक रूप से सिद्ध होना बताया गया है। अत: जॉच अधिकारी महोदय द्वारा आंशिक रूप से आरोप स्थापित होने का दिये गये निष्कर्ष, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के प्रतिपादित व्यवस्था के अनुरूप न होने के कारण स्वत: ही निरस्त किये जाने योग्य है।

2- अनुबंध गठन किये जाने तक क्रमवार निविदा स्वीकारकर्ता अधिकारी की निगरानी/अध्यक्षता में निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

- निविदा आमंत्रण - तकनीकी बिन्ड खोलना- तकनीकी बिड मूल्यांकन
- तकनीकी बिड पर प्राप्त शिकायत का निस्तारण- वित्तीय बिड खोलना
- वित्तीय बिड मूल्यांकन- स्वीकृति पत्र जारी करना- अनुबंध गठन

बचाव उत्तर में यह उल्लेख किया था कि आरोप सं0-2 में इंगित कार्य आगापुर की दि0 13.09.2008 को, आरोप संख्या-3 में इंगित कार्य मदारा रायगुमान की दि0 18.10.2008 को तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप संख्या-04 में इंगित कार्य सचेण्डी की दि0 06.11.2008 को गठित समिति की सदस्यो की अनुपस्थिति में अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा स्वयं वित्तीय बिड खोलने का उल्लेख किया था। अधीक्षण अभियंता को अभिलेखों में गठित समिति के सदस्यो की अनुपस्थिति के संबंध में संज्ञानित कराया गया था, परन्तु संभवत: समिति के सदस्य न होने के कारण उनके उक्त सुझाव को संज्ञान में नही लिया गया तथा खोली गयी वित्तीय बिड की स्वीकृति पत्र भी निर्गत कर दिया गया। जॉच अधिकारी महोदय ने भी बचाव उत्तर एवं उसके सापेक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर यह स्वीकार किया है कि अधीक्षण अभियंता, कानपुर द्वारा समिति की सदस्यो की अनुपस्थिति में वित्तीय बिड खोली गयी। लेटर ऑफ एक्सेप्टेन्स से भी स्पष्ट है कि अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर द्वारा वित्तीय बिड खोलने के उपरांत आगापुर की दि0 25.10.2008 को, मदारा रायगुमान की दि0 22.10.2008 को तथा सचेण्डी की दि0 06.11.2008 को स्वीकृति पत्र जारी किया था।

जॉच अधिकारी महोदय ने जॉच आख्या में स्वीकार किया है कि अधीक्षण अभियंता अर्थात अपचारी के नियंत्रण अधिकारी द्वारा जान बूझकर स्वविवेक में समिति के सभी सदस्यो की अनुपस्थिति में निविदा खोली गयी। अधीक्षण अभियंता के अधिकार सीमा वाले निविदाओं में न्यूनतम निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में दी गयी निविदा दर का स्वीकृति प्राक्कलनों में शामिल कार्यो की विभिन्न मदों की गणना के आधार पर शुद्ध अंकगणितीय गणना कर, प्रस्तुत करने हेतु सौपे गये दायित्व एवं दिये गये निर्देश के अनुपालन में सहायक अभियंता (तकनीकी) के रूप में उनके द्वारा नोटशीट प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें उनके द्वारा सभी सदस्यों की अनुपस्थिति से निविदा खोलने का उल्लेख करने पर, नियंत्रण अधिकारी के कार्यो में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने एवं सौपे गये कार्य एवं नियंत्रण अधिकारी के प्रति निष्ठावान न होने की स्थिति उत्पन्न होती, जिसके लिये कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में किसी भी राजकीय सेवक को स्वतंत्रता नही दी गयी है।

जॉच अधिकारी महोदय ने जॉच आख्या में एक ओर यह स्वीकार किया है कि गठित समिति की सदस्यों की अनुपस्थिति में अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा स्वयं वित्तीय बिड खोली गयी वही दूसरी ओर उनके द्वारा प्रस्तुत नोटशीट में अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर द्वारा स्वयं समिति की सदस्यों की अनुपस्थिति में वित्तीय बिड खोलने के उपरांत भी इसको लिखित में उल्लेख न करने के कारण आंशिक रूप से आरोप को स्थापित होने का दिया गया निष्कर्ष विरोधाभासी होने, नियंत्रण अधिकारी के कार्यो में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप न करने एवं सौपे गये कार्य एवं नियंत्रण अधिकारी के प्रति पूर्ण निष्ठा से दायित्व का निर्वाहन करने के परिदृष्य में आरोप आंशिक रूप से स्थापित होने का निष्कर्ष नितान्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतएव आरोप सं0-2, 03 व 04 की आख्या में आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप का अंश, अनुशासन एवं अपील नियमावली,1999 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुरूप आरोपित आरोप में सम्मिलित न होने, जांच अधिकारी की जांच आख्या में परस्पर विरोधाभासी होने, नियंत्रण अधिकारी के कार्यो में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप न करने एवं सौपे गये कार्य एवं नियंत्रण अधिकारी के प्रति पूर्ण निष्ठा से दायित्व का निर्वाहन करने की परिदृश्य में आरोप सं0-02, 03 व 04 में आंशिक रूप से स्थापित होने का दिया गया निष्कर्ष नितान्त ही दुर्भाग्यपूर्ण होना स्पष्ट होने के प्रकाश में कृपया आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोपांश से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अधीक्षण अभियंता अधिकारी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0-कानपुर के समक्ष निविदा समिति की संस्तुतियों की स्वीकृतिहेतु प्रस्तुत किये जाने के समय अपचारी अधिकारी श्री राजेश कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर को अधीक्षण अभियंता के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहिये था कि उक्त प्रपत्र पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर अंकित नही है। अपचारी अधिकारी, श्री राजेश कुमार की उक्त अनियमितता हेतु उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-08-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"अधीक्षण अभियंता अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0-कानपुर के समक्ष निविदा समिति की संस्तुतियों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने के समय अपचारी अधिकारी श्री राजेश कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर को अधीक्षण अभियंता के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहिये था कि उक्त प्रपत्र पर अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर अंकित नही है। उक्त अनियमितता हेतु श्री राजेश कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-फैजाबाद को **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-168/2019/2557(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री राजेश कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।